

कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर

संख्या: 777 / एल0बी0सी0

दिनांक: 3 अक्टूबर, 2016

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
वन प्रभाग सुलतानपुर।

कृपया उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या: 708/35-1/सुलतानपुर दिनांक 12.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच-731 (पुराना एन0एच0-56) स्टोन किमी0 57 से 59 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम आनापुर नरायनगंज, भूखण्ड संख्या-596, 597 तथा ग्राम शेरपुर परशुरामपुर भूखण्ड संख्या 158 परगना चांदा, तहसील लंभुआ जनपद सुलतानपुर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु मार्ग से पेट्रोल पंप स्थल तक आवागमन हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासियों का हित प्रभावित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत वन अधिकार अधिनियम-2006 संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।


(इन्द्रासिम सिंह यादव)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
सुलतानपुर।

वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक F No 11-09/98-fc(PT) दिनांक 28-10-2014 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा जनपद सुलतानपुर में रा० राज मार्ग संख्या-731 (पुराना एन०एच०-56) वाराणसी-लखनऊ मार्ग किमी० स्टोन संख्या 57 से 59 के बीच बायीं तरफ गाटा संख्या- 596 एवं 597 ग्राम आनापुर नरायनगंज व गाटा संख्या- 158 ग्राम शेरपुर परशुसामपुर में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा पेट्रोल /डीजल का रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। उक्त संरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी आदिवासी जनजाति (Tribal Group) अथवा अन्य वनवासी नहीं है, जिस कारण वन सम्बन्धित अधिकार एवं उसका कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। "It is further certified that the Forest Land proposed to be diverted is Plantation which was notified as Forest less than 75 Year prior to the 13th day of December 2005 is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per census 2001 and the census 2011" अपेक्षित भूमि की माँग न्यूनतम है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।


जिलाधिकारी
सुलतानपुर।
26/9/16
21/10/16